छावनी परिषद लैन्सडौन पौड़ी गढ़वाल
तृतीय कोटेशन सूचना

छावनी परिषद् लैन्सडौन को प्रतिदिन पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ती हेतु व्यक्तिगत वाटर टैंकर जो प्रतिदिन लगभग 20000 लीटर से 60000 लीटर तक आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति कर सकें की आवश्यकता हेतु इस कार्यालय में पंजीकृत सप्लायरों से कोटेशन अपनी रजिस्टर्ड फर्म के नाम से दिनाँक 30 मार्च 2016 को 1500 बजे तक आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्न है :–

कोटेशन व पंजीयन सम्बन्धित सभी प्रपत्रों सहित इस कार्यालय में जमा करने की तारीख	30 मार्च 2016 समय 1500 बजे तक
कोटेशन खोलने की तारीख	30 मार्च 2016 समय 1600 बजे

1. यह अनुबन्ध कम से कम 3 माह के लिए होगा। उक्त अवधि आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में परिषद् में देखी जा सकती है।
2. इच्छुक सप्लायर को अग्रिम धनराशि रू 20,000/– नकद की रसीद या फिक्स डिपोजिट के रूप में जो मुख्य अधिशासी अधिकारी लैन्सडौन के नाम पर बंधक हो कोटेशन के साथ उक्त दी गई तारीख तक मूल रूप में जमा करना आवश्यक है।
3. पंजीकरण हेतु अग्रलिखित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित सत्यप्रतिलिपि जमा करनी आवश्यक है :– सैल टैक्स/कमर्शियल टैक्स/इन्कम टैक्स पंजीकरण प्रमाण पत्र, इंकम टैक्स, पैन कार्ड, वाहन का गुड्स कैरीज पर्मिट, रोड टैक्स, प्रदूषण, फिटनेस, इन्श्योरेन्स प्रमाण पत्र, ड्राईवर के ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट साईज फोटो व अन्य संम्बन्धित प्रपत्र (किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या स्वप्रमाणित हो) जमा कराना आवश्यक है। कोटेशन क साथ संलग्न प्रपत्रों की मूल प्रति भी दिनाँक 30 मार्च 2016 को कोटेशन खोलने के समय अधोहस्ताक्षरी को दिखानी आवश्यक है अन्यथा टैंडर निरस्त होने योग्य समझा जायेगा।
4. इच्छुक अपंजीकृत सप्लायर कोटेशन व पंजीयन से सम्बन्धित प्रपत्रों सहित रू 1000/– का नकद या बैक ड्राफ्ट की मूल रूप में जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम हो संलग्न कर इस कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते है एवं पंजीकृत सप्लायर रू 200/– जमा कर फर्म का नवीनीकरण करवा सकते है।
5. जलापूर्ति की दर प्रति दस हजार लीटर प्रति चक्कर में कोट करें। यह दर समस्त टैक्स शुल्क इत्यादि सहित होगी।
6. सम्बन्धित अन्य शर्तें कार्यालय में आकर या **www.lansdownecb.org.in** वेबसाईट पर देखी जा सकती है ।

पत्रांक सं0 2511/2015–16/छा0परि0
दिनाँक : ....मार्च 2016

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लैन्सडौन ।